अनुदान संख्या 38 - व्यय विभाग

GRANT No. 38 – DEPARTMENT OF EXPENDITURE

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**			
स्वीकृत-	Voted –	87,30,00	85,95,58	-1,34,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**			
स्वीकृत-	Voted –	33,55,00	7,20,00	-26,35,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			26,35,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/ हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2052”	Major Head “2052”				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	5545.00	5195.16	5086.93	-108.23
पु.	R.	-349.84			
मुख्य शीर्ष “2070”	Major Head “2070”				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	3185.00	3534.84	3508.65	-26.19
पु.	R.	349.84			

(I) मुख्य शीर्ष “2052” - “सचिवालय - व्यय विभाग” के अंतर्गत ₹458.07 लाख की बचत (₹5545.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सीय प्रतिपूर्तियों और घरेलू/विदेश दौरों के लिए दावे कम/विलम्ब से प्राप्त होने, अधिकारियों के स्थानांतरण तथा किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head “2052” - “Secretariat –Department of Expenditure” – saving of ₹458.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5545.00 lakhs) was due to less/late receipt of claims towards leave travel concession, medical re-imbursements and domestic/foreign tours, transfer of officials and economy measures.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹99.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of ₹99.00 lakhs occurred constituting 30 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2070" - "अन्य व्यय - नई पेंशन स्कीम के लिए एनएसडीएल को सेवा प्रभार" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹416.43 लाख का अधिक व्यय (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत एनएसडीएल को अदायगियों के लिए अधिक बिलों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2070" - "Other Expenditure – Service charges to NSDL for New Pension Scheme" – excess of ₹416.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to receipt of more bills for payments under New Pension Scheme to NSDL.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :-

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	2635.00	..	..	..
पु.	R.	-2635.00			

(I) ₹2635.00 लाख का प्रावधान "कार्यालय भवन - निर्माण- भवन" के अंतर्गत एक मामले में कार्य परियोजना शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹2635.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under "Office Buildings – Constructions – Buildings" - due to work project being implemented by Ministry of Urban Development.